

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मई 2023—ज्येष्ठ 5, शक 1945

भाग ४

विषय—सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक. | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम. | (2) अंतिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. A/2627

Jabalpur, the 16th May 2023

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 477 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम तथा आदेश में, अध्याय चार में, नियम 87 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"87. धारा 164 के अधीन साक्षी/अभियोक्त्री का कथन.—

- (1) संस्वीकृति से भिन्न कोई भी कथन, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उप-धारा (5) के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार अभिलिखित किया जाएगा।
- (2) जहां कथन अभियोक्त्री का है, वहां वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उप-धारा (5क) के अधीन विशेषतः महिला न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।
- (3) उप-नियम (2) के प्रयोजन के लिए, जहां अभियोक्त्री को प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किए जाने के चौबीस घंटे से अधिक का समय समाप्त होने के पश्चात् दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है, वहां दण्डाधिकारी, अन्वेषक अधिकारी से विलंब के कारणों को उल्लिखित करने वाले प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त करेगा, जैसा कि केस डायरी में अभिलिखित है।
- (4) न्यायालय, अन्वेषक अधिकारी से तत्काल अभियोक्त्री से संबंधित चिकित्सा विधिक प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्राप्त करेगा।

- (5) उप-नियम (3) और (4) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ उप-नियम (2) के अधीन तथा अभिलिखित मूल कथन को एक आवरण में बांधकर सील-बंद किया जाएगा और प्रेषण तथा संबंधित न्यायालय द्वारा प्राप्ति का प्रमाण संधारित करते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उप-धारा (6) के अधीन जांच या विचारण करने वाले न्यायालय को अग्रेषित किया जाएगा।
- (6) कथन अभिलिखित करने वाला न्यायालय उप-नियम (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट किन्हीं दस्तावेजों की प्रति अपने पास नहीं रखेगा।
- (7) उपरोक्त उप-नियम (2) के अधीन अभिलिखित कथन की एक प्रति, अन्वेषक अधिकारी को कार्यवाहियों के अभिलेख में यह विनिर्दिष्ट निर्देश अभिलिखित करते हुए प्रदत्त की जाएगी और अन्वेषक अधिकारी द्वारा हाशिए में अपने हस्ताक्षर सहित इसकी अभिस्वीकृति दी जाएगी, कि इसे किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाएगा।
- (8) अभियुक्त को केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 या 208 के अधीन प्रक्रम पर ही, उप-नियम (2) के अधीन अभिलिखित कथन की प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा।”।

रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल

In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India read with section 477 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal), namely :-

AMENDMENT

In the said Rules and Orders, in chapter IV, for Rule 87, the following rule shall be substituted, namely:-

"87. Statement of a witness/prosecutrix under section 164 :

- (1) Any statement other than a confession, shall be recorded as provided under sub-section (5) of section 164 of the Code of Criminal Procedure.
- (2) Where the statement is of the prosecutrix, it shall be recorded under sub-section (5A) of section 164 of the Code of Criminal Procedure, preferably by a lady judicial magistrate.
- (3) For the purpose of sub-rule (2), where the prosecutrix is produced before the Magistrate after a lapse of more than twenty-four hours from the registration of the First Information Report, the Magistrate shall secure a copy of the report from the investigating officer giving reasons for the delay, as recorded in the case diary.
- (4) The Court shall forthwith secure from the investigating officer, a copy of the Medico Legal Certificate pertaining to the prosecutrix.
- (5) The original statement as recorded under sub-rule (2) along with documents mentioned in sub-rule (3) and (4), shall be placed in a cover, sealed and forwarded to the Court of inquiry or trial under sub-section (6) of section 164 of the Code of Criminal Procedure, maintaining proof of dispatch and receipt by the courts concerned.
- (6) The Court recording the statement, shall not retain a copy of any of the documents referred to in sub-rule (2), (3) and (4).

- (7) A copy of the statement recorded under sub-rule (2) *supra* shall be given to the investigating officer with a specific direction recorded in the record of proceedings and acknowledged by the investigating officer with his signature in the margin, that the same shall not be disclosed to anyone.
- (8) The accused shall have a right to a copy of the statement recorded under sub-rule (2), only at the stage under section 207 or 208 of the Code of Criminal Procedure.”.

RAMKUMAR CHOUBEY, Registrar General.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

अधि. क्रमांक 12 एफ 1-15/2021/18-3: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 292-क, 292-ख, 292-खक, 292-ग, 292-ड और 292-छ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 के साथ पठित धारा 339-क, 339-ख, 339-खक, 339-ग, 339-ड और 339-छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सच्च सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 मार्च, 2023 में पूर्व प्रकाशित हो चुका है, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

— संशोधन —

उक्त नियमों में,—

1. नियम 23 में, भाग-3 में,—

(1) उप-नियम (3) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए तथा इसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“परंतु सूची के सार्वजनिक होने की तारीख से, सम्बन्धित कालोनी की भूमि सक्षम प्राधिकारी के प्रबन्धन के अधीन होगी और सूची की प्रति, इस आशय से उपपंजीयक कार्यालय को भेजी जाएगी, कि सम्बन्धित कालोनी की भूमि एवं भू-खण्ड/भवन किसी भी प्रकार के अंतरण या अंतरण करार द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। विक्रेता या क्रेता अथवा दोनों से नगरीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना पंजीयन निष्पादित नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि, नगरीय निकाय ऐसा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व संबंधित रहवासी संघ से परामर्श कर सकेगा।”।

(2) उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

“(क) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292-घ की उप-धारा (9) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-घ की उप-धारा (9) के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी, उन समस्त व्यक्तियों की, जिन्होंने अनधिकृत कालोनी विकसित करने का